संख्या-15/2021/आई/108536/2021-फाईल नं0-10-19099/143/2021-22

प्रेषक,

एस० राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2021

विषयः-दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड पे रूपये 8,700/- के लिए मैट्रिक्स लेवल-13 में संशोधन के फलस्वरूप पेंशन का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-65/2016/वे०आ०-2-1442/दस-04(एम)/2016, दिनांक 20-12-2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड पे रूपये 8700/- के लिए तालिका लेवल-13 निर्धारित की गई थी। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16-05-2017 के क्रम में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/वे०आ०-2-563/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 27-07-2017 द्वारा ग्रेड पे रूपये 8700/- के लिये पूर्व निर्धारित मैट्रिक्स लेवल-13 को संशोधित किया गया।

2- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16-05-2017 द्वारा ऐसे प्रकरणों के संबंध में यह निर्देश दिये गये हैं कि तालिका लेवल-13 को संशोधित कर दिये जाने के कारण मूल वेतन के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कमी होने की दशा में दिनांक 01-01-2016 से 30-06-2017 तक की अवधि में हुये अधिक भुगतान की वसूली न की जाये।

3- शासन में इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं कि ऐसे प्रकरण जिनमें शासनादेश दिनांक 20-12-2016 के साथ संलग्न तालिका लेवल-13 के अनुसार निर्धारित मूल वेतन के आधार पर स्वीकृत पेंशन की तुलना में, शासनादेश दिनांक 20-07-2017 के साथ संलग्न संशोधित तालिका लेवल-13 के अनुसार संशोधित मूल वेतन के आधार पर स्वीकृत पेंशन कम हो जाने की दशा में पेंशन से वसूली न की जाय।

4- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्रेड वेतन रूपये 8700/- के लिए निर्धारित वेतन मैट्रिक्स की तालिका लेवल-13 का संशोधन शासनादेश दिनांक 20-07-2017 द्वारा कर दिये जाने के फलस्वरूप स्वीकृत पेंशन में कमी हो जाने की दशा में ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्ववर्ती तालिका लेवल-13 के अनुसार निर्धारित मूलवेतन के आधार पर स्वीकृत पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, में दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 31-07-2017 तक की अवधि में हुये अधिक भुगतान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

की धनराशि की वसूली नहीं की जाये। ऐसे प्रकरण, जिनमें पूर्व तालिका लेवल-13 के अनुसार पेंशन स्वीकृत की जा चुकी थी, परन्तु भुगतान नहीं हुआ था, उन्हें संशोधित तालिका लेवल-13 के अनुसार संशोधित मूलवेतन के आधार पर स्वीकृत पेंशन का ही भुगतान प्रारंभ से किया जायेगा।

इन आदेशों का अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीया,

एस० राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव

संख्या-15/2021/आई/108536/2021-फाईल नं0-10-19099/143/2021-22, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, आठवां तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।